



संख्या : — / जी०एस० / शिक्षा / A3-89/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून दिनांक जुलाई, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2362/मान्यता/के०यू०/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, (बागेश्वर) को बी०एस-सी० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर	बी०एस-सी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भू-विज्ञान)	40 सीट प्रति विषय	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

2- महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र सं०- 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के निर्णय से पूर्व यू०जी०सी० विनियम/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1080 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-89/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, (बागेश्वर)।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।